श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 17.09.2011 को सामाजिक पुनर्वास योजना के तहत् गठित जिला स्तरीय पणन निवारण समिति के बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति पदाधिकारी–सदस्य :-

1.	कुलदीप नारायण	:-	जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2.	विपिन कुमार सिंह	:-	उप विकास आयुक्त, मुगेर।
3.	मुकेश कुमार	:-	सिविल सर्जन, मुंगेर।
4.	ए0 के0 पंचालर	:-	पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय।
5.		:-	पुलिस उपधीक्षक, रेलवे जमालपुर।
6.	मीना सिन्हा	:-	जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
7.		:-	जिला प्रोग्राम पदा0, बिहार शिक्षा परि0।
8.	एम0 अयूबी	:-	सरकारी अधिवक्ता।
9.	शैलेन्द्र कुमार	:-	जिला स्तरीय कार्यकर्त्ता, बिहार एड्स सोसायटी।
10.	संजय कुमार	:-	जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम, मुंगेर।
11.	मुन्ना लाल राउत	:-	जन अभियोजक, मुंगेर।

अनुपस्थिति :-

1. अध्यक्ष, जिला परिषद।
2. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।
3. श्रम अधीक्षक, मुंगेर।
4. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर।

सर्वप्रथम बैठक में सामाजिक पुर्नवास कोष योजना की मार्गदर्शिका सभी संबंधित सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी। चूँकि इस योजना की यह पहली बैठक है अतएव जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामाजिक पुर्नवास कोष घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न, सामाजिक एवं अपराधिक हिंसा, मानव–पणन, डायन प्रथा आदि से पीड़ित महिलाओं एवं उनके 5 वर्ष तक के आश्रित बच्चों को चिकित्सकीय, शैक्षणिक एवं सामाजिक तथा आर्थिक पुर्नवास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गठित की गयी है जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिये गये :-

कार्यावली सं0–01 :-

बैठक में निर्णय लिया गया कि पुलिस अधीक्षक, मुंगेर अपने स्तर से संज्ञान में आये ऐसे मामलों से संबंधित पीड़ित एवं गरीब महिला के आवेदन पत्र, दर्ज प्राथमिकी एवं चार्च शीट की प्रति जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन– पुलिस अधीक्षक, मुंगेर)

कार्यावली सं0–02 :–

पुलिस अधीक्षक, मुंगेर से प्राप्त सूची के आलोक में उक्त पीड़ित महिलाओं को जिले में कार्यान्वित महिला हेल्पलाईन के माध्यम से तुरंत राहत प्रदान करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी)

कार्यावली सं0–03 :–

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, दहेज प्रथा एवं धारा 498 के मामलों में बिना चार्ज शीट के पीड़ित महिला को लाभ नहीं दिया जाय।

(अनुपालन– पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर)

कार्यावली सं0–04 :–

जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि उक्त योजना के कोष में 2,25,000 (दो लाख पचीस हजार) रू0 की राशि उपलब्ध है। निदेश दिया गया कि कोष में उपलब्ध राशि का लेखा संधारण किया जाय जिसमें प्राप्त सभी निवेश एवं व्यय की प्रविष्टि समय–समय पर अद्यतन करते रहेंगे।

(**अनुपालन–** जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम, मुंगेर)

कार्यावली सं0–05 :–

निर्णय लिया गया कि मार्गदर्शिका में वर्णित निदेश के अनुसार सामाजिक पुर्नवास कोष हेतु गठित जिला स्तरीय पणन निवारण समिति की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य आयोजित की जाये।

(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी)

तत्पश्चात् सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/– 20/09/11

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 1018 /कल्याण, दिनांक 20-9-11

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगेर/पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे, जमालपुर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना, मुगेर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर/ श्रम अधीक्षक, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकारी अधिवक्ता, मुंगेर/जिला स्तरीय कार्यकर्त्ता, बिहार एड्स सोसायटी/जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम, मुंगेर/जन अभियेजक, मुंगेर को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 20/09/11

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 1018 /कल्याण, दिनांक 20-9-11

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 20/09/11

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।